# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

**पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती ( आर0ए0एस0)**

राजस्व प्रकरण संख्या :– 95 / 2024 दर्ज दिनांक 09.10.2024

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :– 2024 / 237

अन्तर्गत धारा :– 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. कृष्णा कंवर पत्नि घनश्यामसिंह चुण्डावत राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादिया

**बनाम**

1. अमीरन पत्नि भूरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

**:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::**
**(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत्)**

उपस्थित

1. हरशिचन्द्र टेलर – अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 एकपक्षीय

**:: निर्णय ::**

दिनांकः– 24/2/2026

1. वादपत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 11.11.2025 के द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2002 / 1735 रकबा 0.95 है0 भूमि में वादिया का 13 / 115 हिस्से का मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर न्यूनतम 8 से 10 फीट तक रास्ते की समुचित व्यवस्था रखते हुए विभाजन हेतु प्राथमिक डिकी जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।
2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक / भू.अ. / 2026 / 127 दिनांक 29.01.2026 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिकी की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

| क्र.सं. | खातेदार का नाम | ग्राम | आराजी नम्बर | रकबा (है0) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कृष्णा कंवर पत्नि धनश्याम सिंह चुण्डावत हिस्सा सम्पूर्ण राजपूत सा. भींटा खातेदार | ग्राम केमुनिया (खाता संख्या 721) | 2002/1735/1 | 0.1040 |
| | | **योग** | **1** | **0.1040** |
| 2 | अमीरन पत्नि भूरेखां हिस्सा सम्पूर्ण मुसलमान सा. रायपुर खातेदारी | ग्राम केमुनिया (खाता संख्या 721) | 200[illegible]2/1735/2 | 0.8160 |
| | | **योग** | **1** | **0.8160** |

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 24/2/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

**पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर०ए०एस०)**

**राजस्व प्रकरण संख्या :– 95/2024** **दर्ज दिनांक 09.10.2024**

**जीसीएमएस प्रकरण संख्या :– 2024/237**

**अन्तर्गत धारा :– 53 आर.टी.एक्ट**

अनवान

1. कृष्णा कंवर पत्नि घनश्यामसिंह चुण्डावत राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादिया

**बनाम**

1. अमीरन पत्नि भूरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

**:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::**

**(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत्)**

**निर्णय दिनांक :** 24/2/2026

**डिक्री दिनांक :** 24/2/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी **श्री हरिश चन्द्र टेलर, व पैरोकार सरकार** हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

| क्र.सं. | खातेदार का नाम | ग्राम | आराजी नम्बर | रकबा (है0) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कृष्णा कंवर पत्नि धनश्याम सिंह चुण्डावत हिस्सा सम्पूर्ण राजपूत सा. भींटा खातेदार | ग्राम केमुनिया (खाता संख्या 721) | 2002/1735/1 | 0.1040 |
| | | योग | 1 | **0.1040** |
| 2 | अमीरन पत्नि भूरेखां हिस्सा सम्पूर्ण मुसलमान सा. रायपुर खातेदारी | ग्राम केमुनिया (खाता संख्या 721) | 2002/1735/2 | 0.8160 |
| | | योग | 1 | **0.8160** |

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

नीज .............Nil...............................मुबलिग .................... Nil ...................................बाबत् ........ Nil ......
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .......................... Nil .......................फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ................ Nil ..........................................का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/2/2026 को जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

| मुद | रूपया | पैसे | मुदायला | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदया | — | | स्टाम्प अरजीदया | — | |
| स्टाम्प वकीलात नामा | — | | स्टाम्प वकीलात नामा | — | |
| स्टाम्प वजह सबूत | — | | स्टाम्प वजह सबूत | — | |
| महनताना वकील (   ) | — | | महनताना वकील (   ) | — | |
| खर्चा गवाह | — | | खर्चा गवाह | — | |
| फीस कमीश्नर | — | | फीस कमीश्नर | — | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | — | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | — | |
| मुनफरिक | — | | मुनफरिक | — | |
| मीजान | | | मीजान | | |

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)